



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय पिपरी-सोनभद्र



फोन-05446-252279

पिन कोड-231221

E-Mail-eekcd3.pipri@gmail.com

पत्रांक : 826/ क0नि0ख0-3,पि0/ वनभूमि/

दिनांक 08.01. 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय: जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ: 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020

2-आपके पत्र संख्या- 2078/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक-02.06.2020

3-आपके पत्र संख्या -112/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक-15.07.2020

4-आपके पत्र संख्या -1468/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक-22.12.2020

5-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्रांक संख्या-2229/रेनुकूट/15-117 दिनांक-07.01.2021

6-प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र के पत्रांक संख्या-1728/ओबरा/15-भू0ह0 दिनांक-06.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें, विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.05.2020 के द्वारा 15 शर्तों के अधीन जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में कमशः रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट के सन्दर्भित पत्र दिनांक 07.01.2021 एवं ओबरा वन प्रभाग के सन्दर्भित पत्र दिनांक 06.01.2021 दिये गये प्राक्कलन के अनुसार धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। उपर्युक्त प्राक्कलन मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। जिसका विवरण निम्नवत है-

	विवरण	रेनुकूट वन प्रभाग			ओबरा वन प्रभाग		
		मात्रा	दर	धराशि	मात्रा	दर	धराशि
बिन्दु संख्या 05	Compensatory Afforestation Non forest Land	160.7608 हे०	135170.00	21730037.00	-	-	-
बिन्दु संख्या 06	Net Present Value(NPV) for forest Land	103.675 हे०	887000.00	91959725.00	23.4887	887000.00	20834477.00
बिन्दु संख्या 12	(A) Additional Compensatory Afforestation 1295.00 Ha on Degraded forest land	800 हे०	135170.00	108136000.00	495.00	135170.00	66909150.00
	(B) Enrichment 666 Ha	666.00 हे०	135170.00	90023220.00	-	-	-
			योग	311848982.00		योग	87743627.00
		महायोग		399592609.00			

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार अनुमन्य देयको को आनलाईन परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से कैम्पा (Campa) शीर्षक में जमा करने हेतु ई-चालान उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे की भुगतान की कार्यवाही अतिशीघ्र किया जा सकें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

08.01.2021
अधिसासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय
पिपरी-सोनभद्र

पत्रांक: / क०नि०ख०-३,पि० / वनभूमि / तदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1-मुख्य अभियन्ता, कनहर सिंचाई परियोजना, विन्ध्याचल, मिर्जापुर।
 - 2-मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र-मिर्जापुर।
 - 3-अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल पिपरी सोनभद्र।
 - 4-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वनप्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र।
 - 5-प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वनप्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
 - 6-सहायक अभियन्ता, द्वितीय, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र।

अधिसासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय
पिपरी-सोनभद्र



दिनांक 20.15.2021
दिनांक 07.01.2021
सम्बन्धित नमूना
कृ०अ०क०नि०ख०-3 पिपरी-सोनभद्र



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ०प्र०)

☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक-2229/ रेनुकूट / 15-117 रेनुकूट, दिनांक, जनवरी, 07, 2021
सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-3
पिपरी-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ:-
1-भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक- 2078/11-सी- FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 02.06.2020
3-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक- 2133/11-सी- FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 09.06.2020
4-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 45/रेनुकूट/15-117 दिनांक-03.07.2020
5-भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./730 दिनांक-10.07.2020
6-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-112/11-सी- FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 15.07.2020
7-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 205/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 16.07.2020
8-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 1243/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 19.10.2020
9-आपका पत्र संख्या- 675/क०नि०ख०-3पि०/वन भूमि दिनांक- 28.10.2020
10-आपका पत्र संख्या- 734/क०नि०ख०-3पि०/वन भूमि /दिनांक-27.11.2020
11-इस कार्यालय का पत्रांक- 1667/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 27.11.2020
12-आपका पत्र संख्या- 759/क०नि०ख०-3 पि० /वन भूमि/ दिनांक- 10.12.2020
13-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 1873/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 15.12.2020
14-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या- 1468/11-सी FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक-22.12.2020
15- इस कार्यालय का पत्र संख्या- 2093/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 26.12.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 28.05.2020 जो विशेष सचिव (वन) उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन लखनऊ को सम्बोधित है तथा आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें । भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 28.05.2020 द्वारा 15 (पन्द्रह) शर्तों के अधीन जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210

DIM
07.01.2021
E.E.

वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अंकित शर्त संख्या-12 में अधिरोपित अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत **1295 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने के स्थान पर 1295 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त को भारत सरकार ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक-10.07.2020 द्वारा संशोधित किया गया है।**

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक-28.05.2020 व संशोधित आदेश दिनांक- 10.07.2020 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में निम्नानुसार पाँच प्रतियों में **संशोधित मॉग पत्र** के अनुसार आवश्यक अभिलेखों सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित किया जा सकें :-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020 में अंकित शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना है उसका विवरण (रेनुकूट वन पभाग से संबंधित)															
1	2	3															
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।															
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा आदि संबंधी समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का हस्तान्तरण नियमानुसार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।															
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 127.1637 ha. Non forest land (Renukoot 103.675 ha, Obra 23.4887 ha) in (Compartment/Khasra No. Not provided, Village-Bhisur, Kotachi, Kudari, Tehsil-Not provided, District-Sonbhadra) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 127.1637 हे० के सापेक्ष कुल 160.7608 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम-भिसुर, कोरची एवं कुदरी में वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त गैर वन भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरान्त वन विभाग द्वारा स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा।															
4	The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष कुल 160.7608 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :- <table border="1"> <tr> <th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)</th></tr> <tr> <td>बभनी</td><td>भिसुर</td><td>69.8110</td></tr> <tr> <td>बभनी</td><td>कोरची</td><td>62.8016</td></tr> <tr> <td>विण्ढमगंज</td><td>कुदरी</td><td>28.1482</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल योग-</td><td>160.7608</td></tr> </table> उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग उ०प्र०	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	बभनी	भिसुर	69.8110	बभनी	कोरची	62.8016	विण्ढमगंज	कुदरी	28.1482	कुल योग-		160.7608
रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)															
बभनी	भिसुर	69.8110															
बभनी	कोरची	62.8016															
विण्ढमगंज	कुदरी	28.1482															
कुल योग-		160.7608															

		सरकार रेनुकूट वन प्रभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा प्राप्त कराते हुए उससे संबंधित खतौनी व मानचित्र की प्रति वियरिंग चार्ट सहित उपलब्ध करायी जाय ।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the projet authority. The CA will be maintained for 10 years . The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना में प्रभावित 127.1637 हे० वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत 160.7608 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है । उक्त प्रस्तावित क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रभाग द्वारा तैयार किये गये क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न माडल व्यय अनुमान पत्र के अनुसार 160.7608 हे० हे० 1,35,170/- प्रति हे० की दर से रू० 21730037.336 या 21730037 (मु० दो करोड़ सत्तरह लाख तीस हजार सैतीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।
6	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 127.1637 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	इस बिन्दु के क्रम में प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न भाग-।। (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा गया है) में रेनुकूट वन प्रभाग का हरियाली का धनत्व 0.8 अंकित किया गया है जो अत्यन्त सधन वन की श्रेणी में आता है । भारत सरकार के पत्र दिनांक- 05.02.2009 में इको क्लास-।।। Consisting of Tropical Dry Deciduous Forests (Very Dense Forest) के लिए एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रू० 8,87,000.00 प्रति हे० निर्धारित किया गया है । अतः परियोजना में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि 103.675 हे० X 8,87,000.00 प्रति हे० = रू० 9,19,59,725.00 (मु० नौ करोड़ उन्नीस लाख उन्सठ हजार सात सौ पच्चीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest lan, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय कि एन०पी०वी० की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढोतरी होती है तो उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ ।
8	The Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department .	इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित 18282 वृक्षों का गणना/छपान किया जाना है । मीरजापुर क्षेत्र उ०प्र० मीरजापुर के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक ,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा वानिकी कार्यों की पुनरीक्षित अनुसूचित दरें रू० 201/-प्रतिदिन मजदूरी के अनुसार छपान हेतु 7.15 प्रति पौध कोलतार का कीमत एवं सामग्री व श्रमांश

		सहित निर्धारित किया गया है । अतः निम्नानुसार निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-								
	<table><tr><th>प्रभाग का नाम</th><th>प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या</th><th>गणना / छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध</th><th>गणना / छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि</th></tr><tr><td>रेनुकूट</td><td>18282</td><td>7.15 / -</td><td>1,30,716.30 या 1,30,716 / -</td></tr></table>	प्रभाग का नाम	प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या	गणना / छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध	गणना / छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि	रेनुकूट	18282	7.15 / -	1,30,716.30 या 1,30,716 / -	उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि रु0 1,30,716 / - (मु0 एक लाख तीस हजार सात सौ एकसठ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा तथा भारतीय वन स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो / संलग्न चालान के माध्यम से जमा कराते हुए उपलब्ध कराया जाय । उक्त के अतिरिक्त इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रभावित वृक्षों के पातन किये जाने एवं ढुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि उ0प्र0 वन निगम रेनुकूट द्वारा मॉग की जायेगी उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता हूँ ।
प्रभाग का नाम	प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या	गणना / छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध	गणना / छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि							
रेनुकूट	18282	7.15 / -	1,30,716.30 या 1,30,716 / -							
9	The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के क्रम में वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय ।								
10	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal(https://parivesh.nic.in/).	इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से संबंधित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय ।								
11	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उससे संबंधित स्लिप की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय								
12	Additional compensatory afforestation shall be raised on 1295 ha. degraded forest land (as per the recommendation of the committee by Hon'ble NGT) and enrichment plantation also shall be taken up and cost for the same at the prevailing wage rates as per approval scheme shall	इस बिन्दु के क्रम में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत 800 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न माडल व्यय अनुमान पत्र के आधार पर निर्धारित धनराशि रु0 1,40,910 प्रति हे0 की दर से 800 हे0 X 1,35,170 = रु0 108136000 / - एवं पूर्व में हुये वनीकरण क्षेत्र 666 हे0 वन भूमि पर enrichment plantation								

	be deposited in advance with the forest department by the project authority.	हेतु 666.00 X 1,35,170 = 90023220 अर्थात् 108136000 + 90023220 = 198159220 (मु0 उन्नीस करोड़ इक्कासी लाख उन्नसठ हजार दो सौ बीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।
13	The State Government and the User Agency should ensure strict compliance of the various recommendations made in the report of the committee on different components of the Terms of Reference.	इस बिन्दु के क्रम में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय ।
14	Compliance of the order of Hon'ble NGT dated 11.03.2014 shall be ensured.	इस बिन्दु के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक- 11.03.2014 के अनुपालन संबंधी पूर्ण विवरण टेबुलर फार्म में प्रस्तुत किया जाय ।
15	CAT Plan has to be approved by the Ministry which should be taken up by the State Government and copy of approved CAT Plan shall be submitted to this office.	इस बिन्दु के क्रम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार से अनुमोदित कैट प्लान की प्रति उपलब्ध करायी जाय ।

संलग्नक:-व्यय अनुमान पत्र का माडल ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
- 3- जिलाधिकारी सोनभद्र
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
- 5- उप जिलाधिकारी दुद्धी(सोनभद्र) ।
- 6- उप प्रभागीय वनाधिकारी म्योरपुर को सूचनार्थ एवं आशय से प्रेषित कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बभनी एवं विण्ढमगंज रेंज अन्तर्गत उपलब्ध कराये जानी वाले गैर वन भूमि को आप भी अपने स्तर से निरीक्षण करते हुए वनीकरण हेतु उपयुक्त होने के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय ।
- 7- तहसीलदार दुद्धी(सोनभद्र) ।
- 8- क्षेत्रीय वन अधिकारी बभनी एवं विण्ढमगंज रेंज को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ग्राम-भिसुर, कोरची एवं कुदरी में उपरोक्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करने हेतु 160.7608 हे0 गैर वन भूमि प्रस्तावित किया गया है । उक्त गैर वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण एवं राजस्व अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण /नामान्तरण कराते हुए उससे संबंधित खतौनी, वियरिंग चार्ट एवं मानचित्र की प्रति अतिक्रमण रहित कब्जा प्राप्त करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त पौंच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें ।

(एम0पी0सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना । रेनुकूट वन प्रभाग ।

पठारी क्षेत्रों हेतु व्यय अनुमान

सत्रफल-10 हे०

गडदों की संख्या-0

बोना नाली की सं०-367

प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)

सुरक्षा खाई की लम्बाई-1010 मी०

पौधों की सं०-1100

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	10	हे०	54	540
2	निरीक्षण मार्ग का निर्माण	2	कि०मी०	4839	9678
3	क्षेत्र की सफाई (लेण्टानायुक्त, सघनता 50 प्रतिशत से अधिक)	10	हे०	3466	34660.00
4	निशानदेही बोनानाली	3670	प्रति सै०	135	4342.34
5	अग्रिम मृदा कार्य बोना नाली का खुदान कार्य (3.00x0.60x0.45) मी०	3670	प्रति नाली	59.60	218732.00
6	सुरक्षा खाई का खुदान साइज (1.20+0.75/2x1.00) मी० पत्थरीली भूमि में ।	1010	प्रति मी०	60	60600.00
7	पौध उगान पर व्यय (5% अतिरिक्त सहित) (क) छोटी थैली पौध 80 प्रतिशत	7700	प्रति पौध	5.30	40810.00
8	बुआई नाली में बीज बुआन हेतु बीज का मूल्य	3670	बोना नाली	5.90	21653.00
	योग-				391015.34
				या	391000.00

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	(क) नालियों की दरेसी	3670	प्रति नाली	2.65	9725.50
	(ख) बोनानालियों पर बीज बुआन केवल श्रमांश	3670	प्रति नाली	1.9	6973.00
2	सुरक्षा खाई की दरेसी कार्य	1000	मी०	1.65	1650.00
3	सुरक्षा खाई में बीज बुआन	1000	मी०	3.8	3800.00
4	पौध उगान पर व्यय (5% अतिरिक्त सहित) (क) छोटी थैली पौध 80 प्रतिशत	7700	प्रति पौध	1.53	11781.00
5	पौध बुलान (औसत दूरी 25 कि०मी० तक) 3% अतिरिक्त (क) छोटी थैली पौध	7560	प्रति पौध	2.75	20790.00
6	बोना नाली के सिरो पर रोपण (स्थानीय बुलान सहित) (क) छोटी थैली पौध	7340	प्रति पौध	2.40	17616.00
7	बोना नाली के सिरो पर निराई-गुड़ाई दो बार (क) छोटी थैली पौध निराई-गुड़ाई (2 बार) (ख) बोना नाली	7340	प्रति पौध	0.9000	13212.00
8	कीटनाशक एवं उर्वरक का क्रय व प्रयोग	3670	प्रति नाली	3.3	24222.00
9	माइक्रोन्यूट्रियांस का क्रय व प्रयोग	3670	संख्या	0.65	2385.50
10	आग बटिया कटान फुकान कार्य	3670	संख्या	0.3	1101.00
11	प्राकृतिक पौधों का सिंगलिंग/कल्चरल कार्य	1	कि०मी०	1039	1039.00
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (प्रति 10.00 हे० में एक श्रमिक)	312	प्रति दिवस	201.00	62712.00
13	रोपावनी बोर्ड	1	नग	4652.00	4652.00
14	अन्य व्यय	1	हे०	ल०स०	1341.00
	योग				183000.00

प्रभागीय वनाधिकारी

पिपरी

पिपरी

(एम०पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट 180 Years Plantation Model

तृतीय चरण (प्रथम अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बोना नालियों की निराई-गुड़ाई कार्य (2 बार)	3670	बोनानाली	3.3	24222.00
2	रोपित पौधों की निराई-गुड़ाई दो बार	7340	पौधे	0.9000	13212.00
3	रोपावनी क्षेत्र में रोपित पौधों की लाइन में 1.00 मी० चौड़ाई में घास काटना	10.00	हे०	851.00	8510.00
4	आग बटिया कटाई फुकाई कार्य	1.00	कि०मी०	1039	1039.00
5	रोपित पौधों में यूरिया का प्रयोग 2 बार	7340	पौधे	0.65	9542.00
6	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	312	दिवस	201	62712.00
7	प्राकृतिक पौधों का सीलिंग/कल्चर कार्य	10	हे०	587	5870.00
8	आवश्यकतानुसार लैण्डाना की झाड़ी कटाई कार्य	10	हे०	1732	17320.00
9	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (2 श्रमिक)	40x2	दिवस	201.00	16080.00
10	अन्य व्यय			ल०स०	0.00
	योग				158507.00
				या	158000.00

चतुर्थ चरण (द्वितीय अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	304	दिवस	201	61104.00
	योग				61104.00
				या	61000.00

चतुर्थ चरण (तृतीय अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	304	दिवस	201	61104.00
	योग				61104.00
				या	61000.00

(चतुर्थ अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	304	दिवस	201	61104.00
	योग				61104.00
				या	61000.00

(पंचम अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	304	दिवस	201	61104.00
	योग				61104.00
				या	61000.00

(षष्ठम अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	304	दिवस	201	61104.00
	योग				61104.00
					61000.00

प्रमाणित वनधिकारी प्र० व० अ०
मिहरी

(सप्तम अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक चेक किया सही पाया	304	दिवस	201	61104.00
	योग				61104.00
	(चन्द्रभूषण त्रिपाठी)			या	61000.00

मान चित्रकार

(अष्टम अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक चेक किया सही पाया	304	दिवस	201	61104.00
	योग				61104.00
	(चन्द्रभूषण त्रिपाठी)			या	61000.00

मान चित्रकार

(नवम अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक चेक किया सही पाया	304	दिवस	201	61104.00
	योग				61104.00
	(चन्द्रभूषण त्रिपाठी)			या	61000.00

मान चित्रकार

(दसम अनुरक्षण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक चेक किया सही पाया	304	दिवस	201	61104.00
	योग				61104.00
	(चन्द्रभूषण त्रिपाठी)			या	61000.00

मान चित्रकार

सारांश

कार्य की मद	प्रस्तावित धनराशि रु०	10 प्रतिशत प्रतिवर्ष मूल्य वृद्धि के अनुसार मान्यता प्राप्त है	योग (रु०)
प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	391000.00	— 39100.00	430100.00
द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)	183000.00	— 18300.00	201300.00
तृतीय चरण (प्रथम अनुरक्षण कार्य)	158000.00	15800.00	173800.00
चतुर्थ चरण (द्वितीय अनुरक्षण कार्य)	61000.00	6100.00	67100.00
पंचम चरण (तृतीय अनुरक्षण कार्य)	61000.00	6100.00	67100.00
षष्ठम चरण (चतुर्थ अनुरक्षण कार्य)	61000.00	6100.00	67100.00
सप्तम चरण (पंचम अनुरक्षण कार्य)	61000.00	6100.00	67100.00
अष्टम चरण (षष्ठम अनुरक्षण कार्य)	61000.00	6100.00	67100.00
नवम चरण (सप्तम अनुरक्षण कार्य)	61000.00	6100.00	67100.00
दशम चरण (अष्टम अनुरक्षण कार्य)	61000.00	6100.00	67100.00
चरण (नवम अनुरक्षण कार्य)	61000.00	6100.00	67100.00
चरण (दसम अनुरक्षण कार्य)	61000.00	6100.00	67100.00
योग 10 हे० हेतु	1281000.00	428400.00	1409400.00

10.00 हे. वांछित धनराशि 14,09,400/- 13,51,700/-

1 हे. हेतु वांछित धनराशि 1,40,940/- 1,35,170/-

(मु० रु० एक लाख चालीस हजार नौ सौ दस मात्र प्रति हे०)

(50 हे० एकड़ तक की सीमा तक)

प्रभागीय कार्याधीन

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र - मीरजापुर

बादगी नं. ... 2014
दिनांक 07/01/2021
सम्बन्धित सहायक
डिप्टी कमिश्नर-3 पिपरी-सोनभद्र

संशोधित।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 1728 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक, 06-01-2021.

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
कनहर निर्माण खण्ड-3,
पिपरी सोनभद्र।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020 तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-2078/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक-02.06.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-28.05.2020 द्वारा 15 (पन्द्रह) शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अंकित शर्त संख्या-12 में अधिरोपित अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 1295 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने के स्थान पर 1295 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त को भारत सरकार ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक-10.07.2020 द्वारा संशोधित किया गया है।

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक-28.05.2020 व संशोधित आदेश दिनांक-10.07.2020 में अंकित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में निम्नानुसार पाँच प्रतियों में आवश्यक अभिलेखों सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित किया जा सकें:-

DM
01.01.2021
E-E

क्र० सं०	भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी. /02/31/2018/ एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020 में अंकित शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना है उसका विवरण									
1	2	3									
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।									
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/ नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा आदि संबंधी समस्त औपचारिकताये पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का हस्तान्तरण नियमानुसार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।									
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 127.1637 ha. Non forest land (Renukoot 103.675 ha, Obra 23.4887 ha) in (Compartment/ Khasra No. Not provided, Village-Bhisur, Kotachi, Kudari, Tehsil-Not provided, District-Sonbhadra) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 127.1637 हे० के सापेक्ष कुल 160.7608 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम-भिसुर, कोरची एवं कुदरी में वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त गैर वन भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरान्त वन विभाग द्वारा स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा।									
4	The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष कुल 160.7608 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बभनी</td><td>भिसुर</td><td>69.8110</td></tr> <tr> <td>बभनी</td><td>कोरची</td><td>62.8016</td></tr> </tbody> </table>	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	बभनी	भिसुर	69.8110	बभनी	कोरची	62.8016
रेंज का नाम	ग्राम का नाम	गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)									
बभनी	भिसुर	69.8110									
बभनी	कोरची	62.8016									

		<table border="1"> <tr> <td>विण्डमगंज</td><td>कुदरी</td><td>28.1482</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल योग-</td><td>160.7608</td></tr> </table> उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग उ०प्र० सरकार रेनुकूट वन प्रभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा प्राप्त कराते हुए उससे संबंधित खतौनी व मानचित्र की प्रति वियरिंग चार्ट सहित उपलब्ध करायी जाय।	विण्डमगंज	कुदरी	28.1482	कुल योग-		160.7608
विण्डमगंज	कुदरी	28.1482						
कुल योग-		160.7608						
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the projet authority. The CA will be maintained for 10 years . The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना में प्रभावित 127.1637 हे० वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत 160.7608 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त क्षेत्र पत्र क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा मांग किया जाना है।						
6	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 127.1637 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	इस बिन्दु के क्रम में प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न भाग-1। (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा गया है) में ओबरा वन प्रभाग का हरियाली का धनत्व 0.8 अंकित किया गया है जो अत्यन्त सघन वन की श्रेणी में आता है। भारत सरकार के पत्र दिनांक-05.02.2009 में इको क्लास -111 Consisting of Tropical Dry Deciduous Forests (Very Dense Forest) के लिए एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रु० 8,87,000.00 प्रति हे० निर्धारित किया गया है । अतः परियोजना में प्रभावित ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि 23.4887 हे० X 8,87,000.00 प्रति हे० = रु० 20834477.00 या 2,08,34,477 (मु० दो करोड़ आठ लाख चौतीस हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।						

7	Additional amount of the NPV of the diverted forest lan, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढ़ोतरी होती है, तो उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।								
8	The Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department .	इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित ओबरा वन प्रभाग से संबंधित 2928 वृक्षों का गणना/छपान किया जाना है। मीरजापुर क्षेत्र उ0प्र0 मीरजापुर के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक ,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा वानिकी कार्यों की पुनरीक्षित अनुसूचित दरें रू0 201/-प्रतिदिन मजदूरी के अनुसार छपान हेतु 7.15 प्रति पौध कोलतार का कीमत एवं सामग्री व श्रमांश सहित निर्धारित किया गया है। अतः निम्नानुसार निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें :- <table><tr><th>प्रभाग का नाम</th><th>प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या</th><th>गणना/छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध</th><th>गणना/छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि</th></tr><tr><td>ओबरा</td><td>2928</td><td>7.15/-</td><td>20,935.20 या 20,935/-</td></tr></table> उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि रू0 20,935/- (मु0 बीस हजार नौ सौ पैंतीस रुपये मात्र) का बैंक डाफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा भारतीय वन स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो उपलब्ध कराया जाय । उक्त के अतिरिक्त इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रभावित वृक्षों के पातन किये जाने एवं दुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि उ0प्र0	प्रभाग का नाम	प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या	गणना/छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध	गणना/छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि	ओबरा	2928	7.15/-	20,935.20 या 20,935/-
प्रभाग का नाम	प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या	गणना/छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध	गणना/छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि							
ओबरा	2928	7.15/-	20,935.20 या 20,935/-							

		वन निगम रेनुकूट द्वारा मॉग की जायेगी उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता हूँ ।
9	The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के क्रम में वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय ।
10	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal(https://parivesh.nic.in/).	इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (एनओपीओ की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय ।
11	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुए, उससे संबंधित स्लिप की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय ।
12	Additional compensatory afforestation shall be raised on 1295 ha. degraded forest land (as per the recommendation of the committee by Hon'ble NGT) and enrichment plantation also shall be taken up and cost for the same at the prevailing wage rates as per approval scheme shall be deposited in advance with the forest department by the project authority.	इस बिन्दु के क्रम में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 495 हे० अवन्त वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि ₹० 1,35,170.00 प्रति हे० की दर से $495.00 \times 1,35,170.00 = ₹० 6,69,09,150.00$ (मु० छः करोड़ उनहत्तर लाख नौ हजार एक सौ पचास रुपये मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।
13	The State Government and the User Agency should ensure strict compliance of the various recommendations made in the report of the committee on different components of the Terms of Reference.	इस बिन्दु के क्रम में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय ।
14	Compliance of the order of Hon'ble NGT dated 11.03.2014 shall be ensured.	इस बिन्दु के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-11.03.2014 के अनुपालन सम्बन्धी पूर्ण विवरण टेबुलर फार्म में प्रस्तुत किया जाय ।

15	CAT Plan has to be approved by the Ministry which should be taken up by the State Government and copy of approved CAT Plan shall be submitted to this office.	इस बिन्दु के क्रम में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार से अनुमोदित कैट प्लान की प्रति उपलब्ध करायी जाय।
----	---	--

संलग्नक:- संदर्भित आदेशों की छाया प्रति ।

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण का वर्षवार सारांश

वर्ष	भौतिक (हे० में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत प्रति वर्ष मूल्य वृद्धि (लाख में)	कुल योग (लाख में)
प्रथम	10	3.91000	0.39100	4.30100
द्वितीय	10	1.83000	0.18300	2.01300
तृतीय	10	1.58000	0.15800	1.73800
चतुर्थ	10	0.61000	0.06100	0.67100
पंचम	10	0.61000	0.06100	0.67100
षष्ठम	10	0.61000	0.06100	0.67100
सप्तम	10	0.61000	0.06100	0.67100
अष्टम	10	0.61000	0.06100	0.67100
नवम	10	0.61000	0.06100	0.67100
दशम	10	0.61000	0.06100	0.67100
एकादश	10	0.61000	0.06100	0.67100
द्वादश	10	0.61000	0.06100	0.67100
योग		12.81000	1.28100	14.09100

दर प्रति हे० 1,409,10.00 / 1,35,170.00

13,517

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र - मीरजापुर

चेक किया सही पाया

(चन्द्रधूषण त्रिपाठी)

मान चित्रकार

(प्रखर मिश्रा)

प्रमाणीय वनाधिकारी,

ओवरा वन प्रभाग, ओवरा सोनमढ़ ।

प्राक्कलन माडल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र -अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड़दों की संख्या- 3500

बोना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधों का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधों की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण	प्र०हे०	10	54.00	540.00
2	क्षेत्र की स्थल सफाई लैण्डाना युक्त 50 % से अधिक घनत्व	प्र०हे०	10	3466.00	34660.00
3	अ. रेखांकन बोना नाली	प्र०सै०	2500	135.00	3375.00
	ब. रेखांकन गड़दा	प्र०सै०	3500	40.80	1428.00
4	अग्रिम मृदा कार्य				
	अ- बोना नाली (3.00x0.60x0.45) मी० (श्रमिक द्वारा)	प्र०बो०ना०	880	76.20	67056.00
	ब- बोना नाली (3.00x0.60x0.45) मी० (यांत्रिक विधि द्वारा)	प्र०बो०ना०	1620	60.70	98334.00
	स- गड़दा खुदान (0.45x0.45x0.45) मी०	प्र०ग०	3500	10.40	36400.00
	द- सुरक्षा खाई (1.20+0.75/2)x1.00 मी० (यांत्रिक विधि द्वारा)	प्र०र०मी०	1030	96.00	98880.00
	य- सुरक्षा खाई (1.20+0.75/2)x1.00 मी० (श्रमिक द्वारा)	प्र०र०मी०	70	99.00	6930.00
5	पौध उगान प्रति हे० 550 पौध	प्रति पौध	5500	4.69	25795.00
6	3.00 मी० चौड़ा निरीक्षण मार्ग का निर्माण	प्र०किमी०	1	4213.99	4213.99
7	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	10	172.30	1723.00
8	संवर्धन कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र०हे०	10	587.00	5870.00
9	अन्य विविध व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्रति हे०	10	603.00	6030.00
		योग-			391234.99
		या-			391000.00

दर प्रति हे०-रु. 39100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़ ।

प्राक्कलन माडल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड्डों की संख्या- 3500

बोना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधों का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधों की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्डों का भरण कार्य	प्र०ग०	3500	1.20	4200.00
2	ड्रेसिंग कार्य बोना नाली	प्र०ना०	2500	2.65	6625.00
3	ड्रेसिंग कार्य सुरक्षा खाई	प्र०र०मी०	1100	1.65	1815.00
4	बीज मूल्य (बोना नाली)	प्र०बो०ना०	2500	5.90	14750.00
5	बीज मूल्य (सुरक्षा खाई)	प्र०र०मी०	1100	2.40	2640.00
6	बीज बुआई कार्य बोनानाली पर	प्र०ना०	2500	1.90	4750.00
7	बीज बुआई कार्य सुरक्षा खाई पर	प्र०र०मी०	1100	1.40	1540.00
8	पौध अनुरक्षण कार्य	प्र०पौध	5500	1.07	5885.00
9	पौध डुलान कार्य (3% अतिरिक्त) लदाई उतराई सहित छोटी थैली	प्र०पौध	3605	3.25	11716.25
10	पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय डुलान सहित	प्र०पौध	3500	2.40	8400.00
11	थावला बनाना 1.20 मी० व्यास	प्र०पौध	3500	2.65	9275.00
12	रोपित पौधों की निराई गुड़ाई कार्य वर्ष में 03 बार	प्र०सै०पौ०	3500	90.00	9450.00
13	बोना नाली निराई गुड़ाई कार्य वर्ष में 03 बार	प्र०सै०पौ०	2500	330.00	24750.00
14	सुरक्षा खाई की निराई गुड़ाई एक बार	प्र०र०मी०	1080	1.10	1188.00
15	रोपवानी प्रहरी का पारिश्रमिक जुलाई से मार्च	प्रति दिन	234	201.00	47034.00
16	रोपवनी बोर्ड एवं गेट के निर्माण एवं लगवाई सहित	प्र० क्षेत्र	1	4652.00	4652.00
17	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	10	172.30	1723.00
18	25 ग्राम यूरिया का छिड़काव 02 बार (एक बार अगस्त एवं दूसरा	प्र० गड्डा	350	0.65	455.00
19	वर्ष में पौधों की लाइन में 01 मी० चौड़ाई में घास कटाई रोपवनी	प्र०हे०	10	851.00	8510.00
20	विविध कार्य (प्राकृतिक पौधों का कल्चर कार्य)	प्र०हे०	9	587.00	5283.00
21	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र० किमी०	1	2412.00	2412.00
22	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस०	प्र०हे०	10	603.00	6030.00
		योग-			183083.25
		या-			183000.00

दर प्रति हे०-रु. 18300.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा- सोनमढ़।

प्राक्कलन माडल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - प्रथम अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड़दों की संख्या- 3500

बोना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधों का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधों की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	10 प्रतिशत असफल गड़दों में पौध रोपण हेतु 3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित पौध डुलान कार्य	प्र०पौ०	360	3.25	1170.00
2	10 प्रतिशत असफल गड़दों में पौध रोपण छोटी थैली पौध स्थानीय डुलान सहित	प्र०पौध	350	2.40	840.00
3	थावला बनाना 1.20 मी० व्यास	प्र०पौध	350	2.65	927.50
4	सफल गड़दा पौध के थावलों की मरम्मत	प्र०ग०	3150	1.65	5197.50
5	10 प्रतिशत असफल बोना नालियों में 20 से०मी० गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुआन ।	प्र०सै०	250	191.00	477.50
6	बोना नालियों हेतु बीज मूल्य	प्र०नाली	250	5.90	1475.00
7	बोना नालियों की निराई-गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य दो बार	प्र०सै०	2500	269.50	13475.00
8	बोना नालियों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र०सै०	2500	179.00	4475.00
9	रोपित पौधों की शीत कालीन निराई-गुड़ाई मलचिंग सहित	प्र०सै०	3500	90.00	3150.00
10	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्र०हे०	10	851.00	8510.00
11	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	प्र०दिवस	312	201.00	62712.00
12	प्राकृतिक पौधों का सिंगलिंग/कल्वर कार्य	प्र०हे०	8	587.00	4696.00
13	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	10	172.30	1723.00
14	आवश्यकतानुसार लैण्टाना झाड़ी की सफाई 50 % से अधिक घनत्व	प्र०हे०	10	2763.00	27630.00
15	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक 15 फरवरी से 31 मार्च तक	प्र०दिवस	38	201.00	7638.00
16	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र० किमी०	1	2412.00	2412.00
17	दो वर्षों की खुदी सुरक्षा खाई की उगरवाई औसत 30 प्रतिशत	प्रति र०मी०	306	17.90	5477.40
18	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	10	603.00	6030.00
योग					158015.90
दर प्रति हे०-रु. 15800.00					158000.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र ।

प्राक्कलन माडल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - द्वितीय अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड़दों की संख्या- 3500

बोना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधो का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधो की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	286	दिवस	201	57486.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस० योग	L.S.	हे०	603	3600.00
					61086.00
			या-		61000.00

दर प्रति हे०-रु० 6100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़ ।

प्राक्कलन माडल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - तृतीय अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड़दों की संख्या- 3500

बोना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधो का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधो की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	286	दिवस	201	57486.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस० योग	L.S.	हे०	603	3600.00
					61086.00
			या-		61000.00

दर प्रति हे०-रु० 6100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़ ।

प्राक्कलन माडल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - चतुर्थ अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड़दों की संख्या- 3500

बोना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधो का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधो की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	286	दिवस	201	57486.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस०)	L.S.	हे०	603	3600.00
	योग				61086.00
			या-		61000.00

दर प्रति हे०-रु० 6100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़ ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - पंचम अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड़दों की संख्या- 3500

बोना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधो का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधो की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	286	दिवस	201	57486.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस०)	L.S.	हे०	603	3600.00
	योग				61086.00
			या-		61000.00

दर प्रति हे०-रु० 6100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़ ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - षष्ठम अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)

भाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

त्रफल- 10 हे०

इलों की संख्या- 3500

ना नाली की संख्या- 2500

रक्षा खाई- 1100 रुमी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधों का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधों की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	286	दिवस	201	57486.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस०)	L.S.	हे०	603	3600.00
	योग				61086.00
			या-		61000.00

दर प्रति हे०-रु० 6100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - सप्तम अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)

भाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

त्रफल- 10 हे०

इलों की संख्या- 3500

ना नाली की संख्या- 2500

रक्षा खाई- 1100 रुमी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधों का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधों की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	286	दिवस	201	57486.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस०)	L.S.	हे०	603	3600.00
	योग				61086.00
			या-		61000.00

दर प्रति हे०-रु० 6100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - अष्टम अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड़दों की संख्या- 3500

बोना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधो का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधो की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	286	दिवस	201	57486.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस०	L.S.	हे०	603	3600.00
	योग				61086.00
			या-		61000.00

दर प्रति हे०-रु० 6100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़ ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - नवम अनुरक्षण कार्य (एकादश वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड़दों की संख्या- 3500

बोना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधो का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधो की संख्या-11000

मजदूरी दर- रु० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक	286	दिवस	201	57486.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस०	L.S.	हे०	603	3600.00
	योग				61086.00
			या-		61000.00

दर प्रति हे०-रु० 6100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़ ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान पत्र - दशम अनुरक्षण कार्य (द्वादश वर्ष)

प्रभाग का नाम- ओबरा वन प्रभाग।

क्षेत्रफल- 10 हे०

गड़दों की संख्या- 3500

बौना नाली की संख्या- 2500

सुरक्षा खाई- 1100 र०मी०

योजना का नाम-कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण।

रोपित पौधों का लक्ष्य- 3500

पौध संख्या बीज बुआन द्वारा- 7500

कुल पौधों की संख्या-11000

मजदूरी दर- रू० 201.00 प्रति मानव दिवस।

क्र०सं०

कार्य का विवरण

मात्रा

इकाई

दर

धनराशि

1

2

3

4

5

6

1

सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक

286

दिवस

201

57486.00

2

प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एफ०आई०एस०

L.S.

हे०

603

3600.00

योग

61086.00

या-

61000.00

दर प्रति हे०-रू० 6100.00

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनमढ़ ।